फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी,बाड़मेर

दोलाराम वगै.
बनाम
सोनाराम वगै.

किस्म मुकदमा 223 आर.टी एक्ट न. 58 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.09.2021	राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर अवकाश पर होने से पत्रावली बाद जांच प्रथम लिंक अधिकारी राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के समक्ष पेश हुई। अपीलांटगण के अधिवक्ता श्री रोशनलाल विश्नोई एवं केवियटर अधिवक्ता श्री सुर्यप्रकाश पंवार उपस्थित। अपील राजस्थान काश्तकारी एक्ट 1955 के अन्तर्गत धारा 223 विरूद्व निर्णय सहायक कलक्टर सेड़वा द्वारा राजस्व वाद संख्या 271/2016 बअनवान सोनाराम बनाम दोलाराम वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.04.2021 के विरूद्व पेश हुई। मियाद के बिंदु को सुरक्षित रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर हो। अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांटगण ने पत्रावली पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को साक्ष्य पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांटगण की अनुपस्थिति में पारित किया गया। अतः अपीलांटगण की अपील को स्वीकार फरमाया जाकर सुनवाई एवं साक्ष्य पेश करने का एक अवसर दिया जावे। रेस्पोडेंट अधिवक्ता ने पत्रावली पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अपीलांटगण जानबूझकर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई। अतः अपीलांटगण की अपील को इसी स्टेज पर खारिज फरमाया जावे। अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर न्यायालय का निष्कर्ष है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर दिया परन्तु विभाजन के वाद में न्यायहित में एक अवसर और दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः अधीनस्थ	

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

न्यायालय सहायक कलक्टर सेड़वा द्वारा राजस्व वाद संख्या 271/2016 बउनवान सोनाराम बनाम दोलाराम वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.04.2021 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांटगण को साक्ष्य पेश करने का एक मात्र अवसर दिया जावे। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 27.09.2021 को उपस्थित हो तथा उसी रोज अपीलांटगण अपनी पूर्ण साक्ष्य पेश करे। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय की प्रति पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैशल शुमार होकर नंबर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे इजलाश सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर